

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स Fax : 0172-2604671
दूरभाष Telephone : 2600031, 2602607
Email : phc.gdc soi@gov.in

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी० डी० सी०
सर्वे कॉम्प्लैक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़-160030

Punjab, Haryana & Chandigarh GDC
Survey Complex, Dakshin Marg, Sector 32-A
Chandigarh-160 030

सं० No. प्रशा०-4632/11-जी-02/आरटी.आई.

दिनांक Dated:- 21 दिसम्बर 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पारदर्शी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में ।

सूचना का अधिकारी अधिनियम-2005 की धारा 19(8)(ए) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आयोग ने लोक प्राधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा के तहत निर्धारित दायित्वों के अन्तर्गत प्रत्येक गतिविधि को लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का निर्देश दिया गया है ।

इस अधिकार की धारा 4 में निर्धारित दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए आयोग ने पुनः सभी लोक अधिकारियों को किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शी अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है । पारदर्शी अधिकारी के मुख्य कार्य निम्नवत् है:-

‘सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा के प्रावधानों के प्रभावी एवं सक्रिय कार्यान्वयन द्वारा लोक प्राधिकारी में संस्थानिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना इसमें सम्मिलित हैं - प्रभावी अभिलेख प्रबंधन अभिलेखों का अंकीकरण नेटवर्किंग तथा सक्रिय संबद्धित प्रकटीकरण’ ।

तदनुसार श्री कमल शर्मा, अधिकारी सर्वेक्षक को तत्काल प्रभाव से पारदर्शी अधिकारी (ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर) नामित किया जाता है जिनसे संबंधित विवरण निम्नवत् है :-

नाम :- श्री कमल शर्मा
पदनाम :- अधिकारी सर्वेक्षक
पता :- पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़, भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए
चण्डीगढ़ ।
दूरभाष सं०:- 0172-2600031, 2603464, 2602607
ई-मेल :- phc.gdc soi@gov.in
फैक्स :- 0172-2604671

(चन्द्रपाल)
निदेशक

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक को सूचनार्थ ।
2. समस्त अपर महासर्वेक्षक/निदेशक को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, सर्वे आफ इण्डिया वेबसाईट द्वारा राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. श्री कमल शर्मा, अधिकारी सर्वेक्षक को अनुपालनार्थ ।
5. केन्द्र के समस्त स्कन्धों/अनुभागों के प्रभारियों को सूचनार्थ । (वितरण के अनुसार)
6. सहायक भण्डार अधिकारी को इस अनुदेश के साथ कि वे इस सम्बन्ध में नोटिस बोर्ड पर संशोधन करवाने की कार्यवाही करें ।
7. फाईल 37-जी-10/नोटिस बोर्ड